न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 33/2021

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र छैलूसिंह जाति राजपूत उम्र 24 वर्ष निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. अनोपसिंह पुत्र छैलूसिह जाति राजपूत उम्र 22 साल निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. अजीतसिंह पुत्र छैलूसिंह जाति राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू

..... वादीगण

बनाम

1. छैलूसिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपूत निवासी सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. श्रीमती भंवरकंवर पत्नी हरिसिह उम्र 77 वर्ष जाति राजपूत निवासी सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. श्रीमती शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुजानगढ जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... प्रतिवादीगण

5. चान्दकंवर पुत्री छैलूसिंह उम्र 26 वर्ष जाति राजपूत निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. डिम्पलकंवर पुत्री छैलूसिंह उम्र 25 साल जाति राजपूत निवासी सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू

..... गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं रेकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 13/9/21

उपस्थित

1. विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह राठौड वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नंबर 154 तादादी 0.2529 हैक्टैयर व खसरा नंबर 368 तादादी 10.6989 हैक्टेयर व खसरा नंबर 388 तादादी 6.0703 हैक्टैयर व खसरा नंबर 503 तादादी 0.1265 हैक्टैयर व खसरा नंबर 504 तादादी 4.8056 कुल किंता 5 कुल तादादी 21.9542 हैक्टेयर

लगातार 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned by CamScanner

वाके रोही ग्राम सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित चली आ रही है वादगत खसरेजात की भूमि वादीगण के दादा हरिसिंह पुत्र आसुसिह जाति राजपूत निवासी सडू बडी के कब्जा काश्त खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार की भूमि थी जो पैतृक भूमि है। वादीगण व गौण प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 2 भंवरकवर व स्व0 हरिसिंह के पौत्रगण व पौत्रियां है वादगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी कृषि भूमि हैं तथा वादीगण का वादगत भूमि में 1/7,1/7 हक हिस्सा जन्म से कायम हो गया है। तथा वादीगण वादगत भूमि पर अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का जन्म हरिसिंह (दादा) के जीवनकाल में हो गया था कानूनन दादा की सम्पति में दादा के जीवनकाल में पौत्र पौत्री के जन्म लेते ही हक हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिए वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का वादगत भूमि में हरिसिंह (दादा) का स्वर्गवास होते ही अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 छैलूसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 भंवरकंवर के साथ 1/7, 1/7 हक हिस्सा भूमि कानूनन कायम हो गया। गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 शादी शुदा है जो अपने अपने घर बार की हो चुकी है। तथा अपने ससुराल में राजी खुशी शांतिपूर्वक आवास निवास करती है। तथा वादगत भूमि पर उनका कब्जा काश्त भी नहीं है। गौण प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से हक भूमि का मौखिक रूप से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या व 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग भी कर दिया था अर्थात वादगत खसरेजात की भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/5, 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकार है। गौण प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से पांति की भूमि लेना नहीं चाहती है। वादगत भूमि में वादीगण ने अपने हिस्से पांति की भूमि में मोठ बाजरी मूंग गंवार इत्यादि की फसल काश्त कर रखी हैं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जो वादीगण के साथ गाली गलौज करते है। और धमकियां देते है कि गलत खातेदारी की आड में वादगत भूमि को अजनवी व्यक्तियों को विकय, हस्तान्तरण रहन इत्यादि करेंगे व कब्जा करवायेंगे तथा वादीगण ने दिनांक 19.8.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से निवेदन किया कि वादीगण के हक हिस्सा पांति की कोपार्सनरी पैत्रक भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से 1/5/1/5 हक हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज करवाये तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने इन्कार कर दिया जिस पर वादीगण ने यह घोषणात्मक वाद पेश किया है।

लगातार 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned by CamScanner

दावा रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 6.9.2021 को राजीनामां पेश किया तथा राजीनामां न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण ने राजीनामां के मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

वादी साक्ष्य में गवाह वादी विरेन्द्रसिंह के बयान लेखबद्व करवाये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 1 नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 व जमाबंदी सम्वत 2052 से 2056 प्रदर्श–3 प्रदर्शित करवाये है।

बहस सुनी गयी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वादीगण ने अपनी मौखिक बहस में दावे के तथ्य को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 ने दावे में राजीनामां पेश किया है तथा राजीनामां न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। तथा वादीगण का जन्म अपने दादा हरिसिंह के जीवनकाल में हो गया था इसलिए वादीगण का अपने दादा की पैतृक भूमि में कानूनन हक हिस्सा कायम हो गया है वादीगण का नाम अपने दादा हरिसिंह के स्वर्गवास के बाद खातेदारी में दर्ज होना चाहिये था जो राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज नहीं किया है। तथा गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 ने दावे में राजीनामां पेश किया है तथा राजीनामां न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। वादगत भूमि प्रदर्श 3 जमाबंदी के मुताबिक पैतृक भूमि है तथा वादीगण का जन्म अपने दादा हरिसिंह के जीवनकाल में हो गया था इसलिए वादीगण का अपने दादा की पैतृक भूमि में कानूनन हक हिस्सा कायम हो गया है। वादीगण का नाम अपने दादा हरिसिंह के स्वर्गवास के बाद खातेदारी में दर्ज होना चाहिये था जो राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज नहीं किया तथा गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 अपने अपने हक हिस्से पांति की भूमि का हक त्याग मौखिक रूप से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग कर दिया है। और वोह अपने हक हिस्सा की भूमि को प्राप्त नहीं करना चाहती है। वादीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में 1/5,1/5 हक हिस्सा भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त कर दर्ज कर दी जावे। और राजीनामां के मुताबिक दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली पर आई मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य व राजीनामां का अवलोकन किया। वादी विरेन्द्रसिंह पी.डल्यू. 1 के बयान एवं दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

1 से लगायत 3 दस्तावेजी साक्ष्य से वादगत खसरेजात की भूमि पैतृक सम्पति हैं तथा वादीगण का जन्म अपने दादा हरिसिह के जीवनकाल में हो गया था तथा वादीगण का हक हिस्सा कानूनन अपने दादा की भूमि सम्पति में उनके जन्म से कायम हो गया था तथा वादीगण अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं वादीगण ने अपने दावे को मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से व राजीनामां होने के कारण बखूबी साबित किया हैं तथा दावे मे राजीनामां पेश किया जा चुका है। दोनो पक्ष राजीनामां के आधार पर दावा का निर्णय करवाना चाहते है। दावा राजीनामां के आधार पर डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा राजीनामां के मुताबिक अंतिम रूप से डिकी किया जाता है कि खेत खसरा नंबर 154 तादादी 0.2529 हैक्टेयर व खसरा नंबर 368 तादादी 10.6989 हैक्टैयर व खसरा नंबर 388 तादादी 6.0703 हैक्टैयर व खसरा नंबर 503 तादादी 0.1265 हैक्टैयर व खसरा नंबर 504 तादादी 4.8056 हैक्टैयर कुल तादादी 21.9542 हैक्टैयर वाके रोही सडू बडी तहसील बीदासर जिला चूरू की खातेदारी भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त यानि संशोधित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रेकार्ड में 1/5,1/5 बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिकी के वादगत खसरेजात की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से 1/5,1/5 बहिस्सा बराबर खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिकी जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13/9/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner